

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक ०९ दिसम्बर, 2016

विषय:- डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के उच्चीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये
रु०-7,12,50,000.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (चिकित्सा उपचार) के पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव-09/2016/5285, दिनांक 24.10.16 व निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के पत्र संख्या-एस.पी.एम./उच्चीकरण/2016-17/6356, दिनांक 23.09.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के उच्चीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये रु०-7,12,50,000.00 (रूपया सात करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5, भाग-1 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-809/पाँच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.12, शासनादेश संख्या-1878/पाँच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 29.11.12 व शासनादेश संख्या-122/पाँच-1-2014-5(100)/13 दिनांक 18.02.14 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1/उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त चिकित्सालय हेतु स्वीकृत किये जा रहे उपकरणों में से रु०-2.00 लाख से अधिक मूल्य के प्रति उपकरणों का क्रय निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के स्तर पर क्रय किया जाना तथा रु०-2.00 लाख या उससे कम मूल्य के प्रति उपकरणों का क्रय संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा टर्न-की के आधार पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये हैं। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा।
- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.11 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निम्नलिखित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को उपलब्ध कालावधि पूर्ण कर चुके हैं।

निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (6) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) धनराशि की स्वीकृति/आहरण में एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में दी गयी शर्तों/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
- (8) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
- (9) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।
- (10) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
- (11) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।
- (12) विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण/साज-सज्जा प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार है।
- (13) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा।
- (14) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।
- (15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।
- (16) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा।
- (18) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (19) धनराशि की स्वीकृति/आहरण में एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में दी गयी शर्तों/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
- (20) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (21) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
- (22) इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(23) संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालय में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या-341 /2016/ 2600 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2 महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3 वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ ।
- 4 जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ ।
- 5 निदेशक (नियोजन/बजट)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6 अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7 अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8 संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
10. निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14. विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से
24/4

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव

e

शासनादेश संख्या- 341 /2016/2650 /पाँच-6-16-12(उपकरण)/14 तदविषयक 8 दिसम्बर, 2016 का संलग्न

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	उपकरण का नाम	संख्या	अनुमानित मूल्य	कुल धनराशि
1	एफरेसिस मशीन ब्लड बैंक हेतु	01 अदद	50.00	50.00
2	कैट स्कैन मशीन 64 स्लाइस एक्स-रे विभाग हेतु पूर्व में स्थापित सी.टी. 10 वर्ष पुरानी हो गयी है कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है, कि अब पार्टस मिलना मुश्किल हो रहा है।	01 अदद	500.00	500.00
3	मल्टी पैरा मॉनीटर 6 बेडेड गहन चिकित्सा इकाई हेतु	08 अदद	2.50	20.00
4	बाई पैप मॉनीटर 6 बेडेड गहन चिकित्सा इकाई हेतु	02 अदद	1.00	2.00
5	एनेस्थिसिया वक्र स्टेशन शल्य कक्ष हेतु	02 अदद	17.50	35.00
6	ब्यालस ट्रॉली शल्य कक्ष हेतु	03 अदद	1.50	4.50
7	2 डी इको कार्डियक विभाग हेतु	01 अदद	25.00	25.00
8	इन्फ्यूजन पम्प कार्डियोलोजी विभाग हेतु	16 अदद	0.50	8.00
9	फुली ऑटोमैटिक ओ.टी. टेबुल	06 अदद	3.00	18.00
10	सीलिंग लाइट एल.ई.डी. शल्य कक्ष हेतु	05 अदद	4.00	20.00
11	मल्टी पैरा मॉनीटर कार्डियक विभाग हेतु	12 अदद	2.50	30.00
			कुल योग-	712.50

(रूपया सात करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 8 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रदेश के 06 ट्रामा सेन्टरों को क्रियाशील करने के लिये उपकरणों के क्रय की रू०-19,12,46,400.00 की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (चिकित्सा उपचार) के पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव-ट्रामा सेन्टर/2016/5030 दिनांक 28.09.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपद झाँसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, जसरथपुर-अलीगढ़ व लखीमपुर खीरी में निर्माणाधीन 06 ट्रामा सेन्टरों को क्रियाशील करने के लिये संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्रति ट्रामा सेन्टर रू०-3,18,74,400.00 की दर से कुल रू०-19,12,46,400.00 (रूपया उन्नीस करोड़ बारह लाख छियालिस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5, भाग-1 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-809/पाँच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.12, शासनादेश संख्या-1878/पाँच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 29.11.12 व शासनादेश संख्या-122/पाँच-1-2014-5(100)/13 दिनांक 18.02.14 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1/उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त चिकित्सालय हेतु स्वीकृत किये जा रहे उपकरणों में से रू०-2.00 लाख से अधिक मूल्य के प्रति उपकरणों का क्रय निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के स्तर पर क्रय किया जाना तथा रू०-2.00 लाख या उससे कम मूल्य के प्रति उपकरणों का क्रय संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा टर्न-की के आधार पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
- (4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये हैं। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा।
- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-55, दिनांक 29.11.11 में उल्लिखित शर्तियों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया जायेगा। निम्नलिखित क्रय किया जायेगा और उपलब्ध पुराने उपकरणों को नष्ट करवाया जायेगा।

चुका है। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (6) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) धनराशि की स्वीकृति/आहरण में एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में दी गयी शर्तों/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
- (8) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
- (9) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।
- (10) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
- (11) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।
- (12) विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण/साज-सज्जा प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार हैं।
- (13) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा।
- (14) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।
- (15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।
- (16) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चुंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/क्रयाधिकारी का होगा।
- (18) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (19) धनराशि की स्वीकृति/आहरण में एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में दी गयी शर्तों/व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
- (20) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (21) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
- (22) इस संबंध में देखीं का जिल्ला महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद में करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालय में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या-³⁴² /2016/²⁴¹⁹ (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2 महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3 वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ ।
- 4 संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 5 निदेशक (नियोजन/बजट)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6 अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7 अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
8. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० ।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
10. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14. विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से



(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव

५

I.	INFRASTRUCTURE	ट्रामा सेन्ट्रों की उपकरणों की मात्रा	कुल रेट वैंट सहित प्रति उपकरण की लागत (रूपया में)	कुल धनराशि (रूपया में)
S.N.	Infrastructure			
1	ICU Beds	30	34200.00	205200.00
2	General Trauma Beds	30	34200.00	205200.00
3	Operation Theatres (आवश्यकतानुसार)	06	1140000.00	6840000.00
II.	EQUIPMENT: SPECIALITY WISE			
A	RADIOLOGY EQUIPMENTS-			
1	500 mA X-ray Machine	06	741000.00	4446000.00
2	3 D Ultrasonography-Trolley based	06	1710000.00	10260000.00
3	CT Scan	06	17100000.00	102600000.00
4	Portable USG	06	114000.00	684000.00
B.	ANAESTHESIA EQUIPMENTS-			
1	O.T. Table-3 segments, translucent top with Orthopaedic attachment	12	456000.00	2736000.00
2	Cautery Machine- Mono & Bi Polar	12	114000.00	684000.00
3	O.T. ceiling light- shadow less	12	228000.00	1368000.00
4	Suction Machine	24	17100.00	102600.00
5	Anaesthesia Machine with Monitor Parameters: Agent monitoring, NIBP, SPO2, ET CO2, ECG, Temp., IBP	12	570000.00	3420000.00
6	Ventilator with high end with compressor	30	1710000.00	10260000.00
7	Transport Ventilator	06	1710000.00	10260000.00
8	ABG Machine (Hand Held Analyzer)	06	3420000.00	20520000.00
9	Defibrillator with Monitor -NIBP -ECG -SPO2 -WITH AFD	30	570000.00	3420000.00
10	Monitor -Large screen -With ECE, SPO2, NIBP, ETCO2	30	171000.00	1026000.00
11	Syringe infusion pump	06	102600.00	615600.00
C.	ORTHOPAEDIC EQUIPMENTS			
1	Power drill and Power saw	06	285000.00	1710000.00
2	Pneumatic tourniquet	12	171000.00	1026000.00
3	Splints and traction	06	342000.00	2052000.00
4	General Orthopaedic instrument- 2 sets	06	171000.00	1026000.00
D.	OPERATION THEATRE EQUIPMENTS			
1	General surgical instruments (2 sets)	12	171000.00	1026000.00
2	Humidity Control Meter	06	17100.00	102600.00
E.	OTHER FACILITIES			
1	Electricity Back- UP	06	456000.00	2736000.00
2	5 bedded step down/recovery unit with 3 monitors (4 channels)	30	285000.00	1710000.00
3	ICU beds	30	34200.00	205200.00
			योग-	19,12,46,400.00

(रूपया अर्न्तगत करोड़ वरह लाख अियलिस हजार चार सौ मात्र)

...

...